दिनांक 22/6/2016 को पेश हुवे। आज्ञा से

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

21/6/2016 पत्रावली आज "न्याय आपके द्वार लोक अदालत" कोर्ट कैम्प-भूधर पर पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 1-2 तथा 4 लगायत 7 उपस्थित। प्रार्थी नं. 3 की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी नं. 1 स्वयं उपस्थित। प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 जा.दी. का अप्रार्थी नं. 1 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21/4/2016 को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रार्थीगण कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करके प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने की सहमति प्रकट की है। इसलिए अप्रार्थी नं. 1 का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। वादी श्री रामलाल एवं उनके अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(क) सपठित धारा 151 जा.दी. का दिनांक 13/5/2016 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी नं. 3 की मृत्यु होने की सूचना दी गई है। मृतक अम्बालाल की शादी नहीं हुई थी, जिसके कोई विधिक प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए किसी पक्षकार को प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण ही विधिक प्रतिनिधि है। उक्त

नाथूलाल

रामलाल

नि. वादी

नि. देवी

मीरा

ललीता

प्रार्थना-पत्र बाबत अप्रार्थीगण को भी कोई एतराज नहीं होने से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4(क) सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार किया जाता है, तथा प्रार्थी नं. 3 मृतक अम्बालाल का नाम प्रार्थना-पत्र से विलोपित किया जाता है। उभय पक्षकारो को सुना गया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मनन किया। दोनों पक्ष वादग्रस्त भूमि की मौके तथा रेकार्ड की यथास्थिति असल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने में सहमत है। इसलिये दिनांक 25/1/2010 के एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को असल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर मजमें आम खोल अदालत कोर्ट कैम्प - भूंगड़ा में सुनाया गया।

21.06.16

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, कुशलगढ़

Scanned by CamScanner